क्षतिपूर्ति तथा प्रतिभूति के अनुबन्ध
[CONTRACTS OF INDEMNITY AND GUARANTEE]

अनुबन्ध अधिनियम की **धारा** 1—75 तक अनुबन्ध के निर्माण तथा उसके निष्पादन एवं समाप्ति की व्यवस्थाएं दी गयी हैं। मूल अधिनियम की **धाराएं** 76 से 123 तक वस्तु विक्रय अनुबन्ध के सम्बन्ध में थीं। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 के इनके स्थान पर लागू हो जाने के कारण ये धाराएं अब निष्क्रिय हो गयी हैं। अनुबन्ध अधिनियम में आगे की सारी व्यवस्थाएं विशेष अनुबन्धों के सम्बन्ध में हैं। **धारा** 124—147 तक क्षतिपूर्ति तथा प्रतिभूति के अनुबन्धों का वर्णन किया गया है।

क्षतिपूर्ति अनुबन्ध का आशय

परिभाषा (Definition)—भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की **धारा** 124 के अनुसार :

"वह अनुबन्ध, जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने का वचन देता है, क्षतिपूर्ति का अनुबन्ध कहलाता है।"[1]

जो व्यक्ति क्षति से बचाने का वचन देता है उसे **'क्षतिपूर्ति करने वाला' अथवा 'हानि-रक्षक'** (Indemnifier) कहते हैं। इसी प्रकार जिसे क्षति से बचाने का वचन दिया जाता है, उसे **'क्षतिपूर्ति कराने वाला' अथवा 'हानि-रक्षाधारी'** (indemnity-holder or indemnified) कहते हैं। उदाहरण के लिए, **'अ'** किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप **'ब'** को ऐसी क्षतिपूर्ति करने का अनुबन्ध करता है जो **'स'**, **'ब'** के विरुद्ध 200 रुपये की एक निश्चित रकम के लिए कर सकता है। यह क्षतिपूर्ति का अनुबन्ध है और यहां पर **'अ'** हानि-रक्षक तथा **'ब'** हानि-रक्षाधारी है, क्योंकि यहां पर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध वाद लाने के कारण होने वाली क्षति से सुरक्षा प्रदान करने का वचन देता है, यह क्षतिपूर्ति का अनुबन्ध है।

धारा 124 **का स्पष्टीकरण**—यह धारा संकुचित है, क्योंकि इस परिभाषा के अनुसार क्षतिपूर्ति कराने वाला केवल निम्न दो हानियों से रक्षा करता है :

(i) स्वयं वचनदाता के आचरण से होने वाली हानि; अथवा

(ii) किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से होने वाली हानि।

अतः **धारा** 124 से यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि—(क) किसी घटना में दैवी प्रकोप से हानि पहुंचती है, अथवा

(ख) स्वयं (हानि-रक्षाधारी) के आचरण से कोई हानि पहुंचती है, तो वचनदाता ऐसी हानि के लिए बाध्य होगा। यदि **धारा** 124 को इसी रूप में स्वीकार कर लिया जाय तो **'बीमा अनुबन्ध'** (Contract of Insurance) तथा ऐसी ही कई अनुबन्ध क्षतिपूर्ति अनुबन्ध के अन्तर्गत नहीं आयेंगे।

गजानन मोरेश्वर बनाम **मोरेश्वर मदन** के वाद में बम्बई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति श्री एम. सी. छागला ने **धारा** 124 द्वारा दी गयी क्षतिपूर्ति के अनुबन्ध की परिभाषा को बिलकुल संकुचित बताया। **भारतीय न्यायालयों द्वारा उसे अंग्रेजी राजनियम के आधार पर विस्तृत रूप से प्रयोग किया गया है।** इस प्रकार इस परिभाषा का क्षेत्र कहीं व्यापक है, और इसी कारण भारतीय न्यायालयों ने इसे ही स्वीकार किया है।

हानि रक्षा अनुबन्ध स्पष्ट अथवा गर्भित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, **'अ'** एक कार विक्रय करने के लिए **'स'** को नीलामकर्ता के रूप में नियुक्त करता है। **'स'** कार को नीलाम कर देता है। इसके पश्चात यह पता लगता है कि कार **'अ'** की नहीं थी और **'स'** को इस कारण कुछ हानि उठानी पड़ती

[1] A contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promisor himself, or by the conduct of any other person, is called a "contract of indemnity."

Scanned with CamScanner

है। यहां पर 'अ' और 'स' के मध्य एक **गर्भित हानि-रक्षा का अनुबन्ध है** जिसके अनुसार 'स' अपनी हानि को 'अ' से पूरी करा सकता है।

क्षतिपूर्ति अनुबन्ध के लक्षण

(1) **दो पक्षकार**—इसमें दो पक्षकार क्षतिपूर्ति करने वाला तथा क्षतिपूर्ति कराने वाला होते हैं। पहला प्रस्तावक व दूसरा स्वीकर्ता होता है।

(2) **क्षतिपूर्ति का वचन**—एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को क्षतिपूर्ति का वचन देता है।

(3) **क्षति**—क्षति प्रस्तावक के स्वयं के व्यवहार से हो सकती है या किसी अन्य से।

(4) **दायित्व की उत्पत्ति**—ऐसे अनुबन्ध में क्षति होने पर क्षतिपूर्ति करने वाले का दायित्व उत्पन्न होता है।

(5) **वैध ठहराव के लक्षण**—ऐसे ठहराव में वैध ठहराव के सभी लक्षण होने चाहिए।

(6) **सद्भावना**—ऐसे ठहराव सद्भावना के ठहराव होते हैं।

(7) **वास्तविक क्षतिपूर्ति**—ऐसे अनुबन्धों में वास्तविक क्षति की ही पूर्ति हो सकती है।

(8) **हानि-रक्षाधारी द्वारा क्षति की पूर्ति नहीं**—यदि हानि-रक्षाधारी के व्यवहार से कोई क्षति होती है तो वह इसे नहीं पूरा करवा सकता।

क्षतिपूर्ति कराने वाले के अधिकार (Rights of Indemnity-holder)—**धारा** 125 के अनुसार, क्षतिपूर्ति के अनुबन्ध का वचनग्रहीता अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्य करते हुए, वचनदाता से निम्नलिखित वसूल करने का हकदार है :

(1) वह सब नुकसानी, जिसके भुगतान के लिए वह ऐसे किसी वाद में विवश किया जाए जो किसी ऐसी बात के बारे में हो, जिसे क्षतिपूर्ति करने का वचन लागू हो।

(2) वे सभी खर्चे, जिनको देने के लिए वह ऐसे किसी वाद में विवश किया जाए, यदि वाद लाने या प्रतिरक्षा करने में उसने वचनदाता के आदेशों का उल्लंघन न किया हो और इस प्रकार कार्य किया हो जिस प्रकार कार्य करना क्षतिपूर्ति के किसी अनुबन्ध के अभाव में उसके लिए प्रज्ञायुक्त (Prudent) होता, अथवा यदि वचनदाता ने वह वाद लाने या प्रतिरक्षा करने के लिए उसे प्राधिकृत किया हो।

(3) वे सभी रकम जो उसने ऐसे किसी वाद के किसी समझौते के शर्तों के अधीन दी तो यदि वह समझौता वचनदाता के आदेशों के प्रतिकूल न रहा हो और ऐसा रहा हो जैसा समझौता क्षतिपूर्ति के अनुबन्ध के अभाव में वचनग्रहीता के लिए करना उचित होता अथवा यदि वचनदाता ने उस वाद का समझौता करने के लिए उसे प्राधिकृत किया हो।

क्षतिपूर्ति के अनुबन्ध में, अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत काम करने पर, '**क्षतिपूर्ति कराने वाला**', '**क्षतिपूर्ति करने वाले**' से निम्नलिखित पाने का अधिकारी होता है :

(1) **ऐसी सभी क्षति** (Damages) जो उसे किसी ऐसे विवाद के सम्बन्ध में उठानी पड़े, जिसमें क्षतिपूर्ति का वचन लागू है।

(2) **ऐसी सब लागत** (Costs) जो उसे किसी ऐसे वाद को प्रस्तुत करने अथवा वाद की रक्षा करने में चुकानी पड़े, जिसमें क्षतिपूर्ति का वचन लागू है।

(3) **ऐसी सब रकम** (Sums) जो उसने किसी ऐसे ही विवाद के समझौते की शर्तों के अधीन चुकायी हो।

हानि-रक्षाधारी को उपर्युक्त अधिकार तभी प्राप्त होते हैं जबकि उसने वचनदाता की आज्ञा का उल्लंघन न किया हो तथा हानि-रक्षाधारी ने इस प्रकार कार्य किया हो जैसा कि क्षतिपूर्ति अनुबन्ध की अनुपस्थिति में कोई भी विवेकशील मनुष्य समान परिस्थितियों में करता है।

प्रतिभूति अनुबन्ध

परिभाषा (Definition)—भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की **धारा** 126 के अनुसार, "**प्रतिभूति अनुबन्ध एक ऐसा अनुबन्ध है जिसमें एक व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति को किसी तीसरे व्यक्ति की त्रुटि की दशा में उसके (तीसरे व्यक्ति) वचन का निष्पादन करने तथा उसके दायित्वों को पूरा करने का वचन देता है।**"[1]

1 A contract of guarantee is contract to perform the promise or discharge the liability, of a third party in case of his default. —*Indian Contract Act, Sec. 126*

Scanned with CamScanner

प्रतिभूति देने वाला व्यक्ति **प्रतिभू** (Surety) कहलाता है और वह व्यक्ति जिसकी त्रुटि के लिए प्रतिभूति दी जाती है, **मूल ऋणी** (Principal debtor) कहलाता है। वह व्यक्ति जिसे प्रतिभू दी जाती है, **ऋणदाता** (creditor) कहलाता है।

प्रतिभूति अनुबन्ध के तीन अनुबन्ध होते हैं—(i) मूल ऋणी और ऋणदाता के बीच, (ii) प्रतिभू और ऋणदाता के बीच, (iii) प्रतिभू और मूलऋणी के बीच।

अंग्रेजी राजनियम के अनुसार, प्रतिभूति का अनुबन्ध केवल लिखित ही हो सकता है मौखिक नहीं। लेकिन भारतीय राजनियम में यह लिखित और मौखिक दोनों ही प्रकार का हो सकता है।

हमारे देश के **उच्चतम न्यायालय** ने **पंजाब नेशनल बैंक** बनाम **श्री विक्रम काटन मिल्स** (1970) के वाद में यह व्यवस्था दी है, "एक वचन तभी प्रतिभूति अनुबन्ध हो सकता है जब उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के दायित्व के निभाने का वचन दिया गया हो। जिस अनुबन्ध के अन्तर्गत कोई स्वतन्त्र दायित्व ग्रहण किया गया हो वह प्रतिभूति अनुबन्ध नहीं होता है।" जैसे एक मकान मालिक अपने किरायेदार को लेकर एक दुकान पर गया और कहा, '**क**' मेरे किरायेदार हैं ये जो वस्तुएं चाहे आप उन्हें दे दीजिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको भुगतान मिल जाएगा।" यह एक स्वतन्त्र वचन है। किसी की त्रुटि की दशा में दायी होने का वचन नहीं है। इसलिए यह प्रतिभूति अनुबन्ध नहीं।

Scanned with CamScanner